केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली –110 001
फोन: 23353503, फैक्स: 23753923

याचिका सं. 108/टीएल/2024 **दिनांक: 27.5.2024**

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

पचोरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, द्वितीय तल, नोवस टावर, प्लॉट नं.18, सेक्टर–18, गुरुग्राम, हरियाणा–122015 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण (बीओओटी) आधार पर मध्य प्रदेश–फेस II में राजगढ़ (1000 मेगावाट) एसईजेड में आरई परियोजना से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) की स्थापना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, 15 और 79(1)(ङ) के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण योजना का कार्यक्षेत्र	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	400/220 केवी, 3x500 एमवीए आईसीटी संवर्धन (चौथा, पांचवां एवं छठा) पचोरा पीएस • 400/220 केवी, 500 एमवीए आईसीटी बे – 3 नंबर • 400 केवी आईसीटी बे – 3 नंबर • 220 केवी आईसीटी बे – 3 नंबर • 400 केवी लाइन बे – 2 नंबर • 220 केवी लाइन बे – 4 नंबर • 400 केवी बस सेक्शनलाइज़र – 1 सेट • 220 केवी बस सेक्शनलाइज़र – 1 सेट • 220 केवी टीबीसी बे – 1 नंबर • 220 केवी बीसी बे – 1 नंबर	24 मास
2.	पचोरा पीएस–उज्जैन (एमपीपीटीसीएल) 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड एसीएसआर/एएएसी/एएल59 मूज़ समतुल्य)	
3.	पचोरा –उज्जैन 400 केवी डी/सी लाइन के लिए उज्जैन (एमपीपीटीसीएल) पर 400 केवी लाइन बे के 2 नंबर • 400 केवी लाइन बे – 2 नंबर	

नोट:

एमपीपीटीसीएल, पचोरा पीएस–उज्जैन 400 केवी डी/सी लाइन के समापन के लिए उज्जैन पर 400 केवी बे के 2 नंबर हेतु स्थान प्रदान करेगा।

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 11.3.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 108/टीएल/2024 में दिनांक 24.5.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
4. पचोरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.grinfra.com पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **11.6.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आयोग द्वारा दिनांक **13.6.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह पुंथी)
सचिव